कार्यालय रसद अधिकारी, बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– एफ 32( ) लेखा/2021/332 दिनांकः– 10/09/2021

नीलामी विज्ञापन

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाँसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 32 ( ) रसद/स्थापना/2020/263–66 दिनांक 25.02.2020 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व थोक विक्रेताओं के पास अवशेष गेहूँ की नीलामी करने के निर्देश दिए गए है। नीलामी दिनांक 22.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे क्रय विक्रय सहकारी समिति बाँसवाड़ा, कोतवाली के पास की जाएगी। अवशेष गेहूँ का विवरण निम्नानुसार हैः–

मद	सामान का वितरण	मात्रा/भार (क्विं में)	आरक्षित मूल्य	व्ययन का तरीका
1	गेहूँ (मानव आहार योग्य)	660.62 क्विं	1126454 रू	सार्वजनिक नीलामी
2	गेहूँ (पशु आहार योग्य)	136 क्विं	163200 रू	सार्वजनिक नीलामी

नीलामी की शर्तेः–

1. जिले में मानव आहार योग्य 660.62 क्वि. एवं पशु आहार योग्य 136.00 क्वि. का थोक विक्रेतावार विवरण निम्नानुसार हैः–

थोक विक्रेता का नाम	भण्डारित गेहूँ में से मानव आहार योग्य गेहूँ की मात्रा		भण्डारित गेहूँ में से पशु आहार योग्य गेहूँ की मात्रा	
	कट्टो की संख्या	मात्रा	कट्टो की संख्या	मात्रा
प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम बांसवाडा	48	24.00 क्विं	–	–
क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ	717	358.50 क्विं	225	112.50 क्विं
क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाडा	552	276.00 क्विं	47	23.50 क्विं
क्रय विक्रय सहकारी समिति गढी	04	2.12 क्विं	–	–
योग	1321	660.62 क्वि.	272	136.00 क्वि.

2. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।
3. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने से पूर्व आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में मौके पर प्रस्तुत करना होगा।
4. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति/फर्म के नाम नीलामी छोड़ी जावेगी। अधिकतम राशि बोलीदाता द्वारा आरक्षित मूल्य की 15 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करानी होगी। यह राशि 10 प्रतिशत के डिमांड ड्राफ्ट से पृथक होगी। शेष राशि अधिकतम 03 दिवस में जमा करवानी होगी। प्रस्तावानुसार निर्धारित अवधि में समस्त राशि जमा नहीं करायी जाने पर अमानत राशि एवं जमा करवायी गयी 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेंगी। सर्वाधिक बोलीदाता की अमानत राशि एवं एक चौथाई राशि जब्त करने के पश्चात् दूसरे के पक्ष में उसकी बोली की सम्पूर्ण राशि एक साथ जमा कराने की स्थिति में छोड़ा जाएगा। दूसरे बोलीदाता द्वारा अपनी अधिकतम बोली के अनुसार राशि जमा नहीं करवाने पर उनकी अमानत राशि भी जब्त कर ली जावेगी।

Desktop/corona

5. अधिकतम बोलीदाता द्वारा अधिकतम 07 दिवस में गेहूँ का उठाव करना होगा। उठाव करने का समस्त व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा।
6. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय करने/नीलामी स्थगित करने का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास होगा।

जिला रसद अधिकारी
बाँसवाड़ा

प्रतिलिपीः–

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाँसवाड़ा।
3. तकनीकी निदेशक, एनआइसी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजकर अनुरोध है कि इसे विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करावें।
4. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, बाँसवाड़ा/क्षेत्रीय प्रबंधक राजस संघ, बाँसवाड़ा/व्यवस्थापक कय विकय सहकारी समिति बाँसवाड़ा/ व्यवस्थापक कय विकय सहकारी समिति गढ़ी।

जिला रसद अधिकारी
बाँसवाड़ा

Desktop/corona